न्यायालय तहसीलदार/नायब तहसीलदार, श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर......24....../2017-18 अंतर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 (12)

अनुवानः— राज्य सरकार बनाम ...मुखराम वगैरह..........................

निर्णय

दिनांकः—..16../..5../..18......

आज पत्रावली पेश हुई। गैर सायल अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का ....लिखमीसर उत्तराद.... अन्तर्गत धारा 91 एल.आर. एक्ट 1956 के तहत इस आशय की रिपोर्ट पेश कि है कि गैर सायल मुखराम, किशनलाल, मदन— पुत्र/पत्नि श्री ...श्रवणराम............ जाति ...जाट......... निवासी लिखमीसर उत्तराद द्वारा ग्राम ...लिखमीसर उत्तराद........ के अराजी खसरा नम्बर ......319...... तादादी...3.93...... हैक्टेयर किस्म भूमि...गै.मु.गोचर.... भूमि में से...0.0156..... हैक्टेयर/वर्गमीटर भूमि पर सम्वत् ...2074...... में नाजायज...बाड़ा बना कर................ अवैध रूप से अतिक्रमण किया है, अत इनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने का अनुरोध किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 अन्तर्गत नोटिस जारी कर तलब किया गया। गैर सायल को जारी नोटिस विधिवत तामिल कराया गया। गैर सायल द्वारा निम्ना जवाब नोटिस पेश किया। गैर सायल ने लिखा

...है कि मुझ प्रार्थीगण को नोटिस गलत आधारों पर दिया गया है क्योंकि

...रिहायशी मकान के आस पास रिहायशी मकानात बने हुए है वर्णित भूमि

...आबादी में है।

उक्त अतिक्रमित भूमि के संबंध में स्वामित्व बाबत कोई दस्तावेज/सबूत गैर सायल द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे उक्त भूमि पर इनका स्वामित्व साबित होता हो, जबकि पटवारी हल्का की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि गैर सायल द्वारा उक्त भूमि पर ...बाड़ा बनाकर........... अतिक्रमण किया है। गैर सायल द्वारा भूमि स्वामित्व संबंधित कोई सन्तोषजनक जवाब/सबूत प्रस्तुत न करने एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट में गैर सायल ...मुखराम, किशन लाल, मदन लाल... का उक्त खसरा नम्बर.....319........ तादादी.....3.93............. हैक्टेयर ...गै.मु. गोचर..... भूमि में से ...0.0156........ हैक्टेयर/वर्गमीटर भूमि पर अतिक्रमण होना साबित होता है। अतः गैर सायल ...मुखराम वगै०........... अतिक्रमी की श्रेणी में आता है।

अतः गैर सायल ...मुखराम, किशनलाल, मदन लाल... पुत्र/पत्नि श्री ...श्रवणराम......... जाति......जाट............ निवासी...लिखमीसर उत्तराद...... को ग्राम ...लिखमीसर उत्तराद... के खसरा नम्बर ......319............ तादादी.......3.93.................. हैक्टेयर गै मु ...गोचर..... भूमि में से ....0.0156........ हैक्टेयर/वर्गमीटर भूमि का सम्वत् ....2074........ का अतिक्रमी घोषित किया जाकर बेदखली का आदेश पारित किया जाता है तथा लगान ....0.02........ रूपये का 50 गुणा से .....1=00......... रूपये शास्ती आरोपित की जाती है।

तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी, पटवारी हल्का को शास्ती राशि वसूली एवं हल्का भू–अभिलेख निरीक्षक को अतिक्रमी को भौतिक रूप से बेदखल करने एवं कब्जा बहक सरकार लेने हेतु लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक ....16.5.18.............. को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजिलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।